प्रश्न सं. [क्र. 2169]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2169 माननीय विधायक महोदय चौधरी सुजीत मेर सिंह

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें प्रश्न दिनांक 28-2-23 - 15-3-2023

प्रश्नक्रमांक 2169 के प्रश्नांश (ख) मध्यप्रदेश का परिशिष्ट "अ". भोपाल, दिनांक

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल/2017/1772 7/11/17

पेज संख्या 01 से 02

(1)

//आदेश//

संचालनालय के पत्र क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल/2017/1211/दिनांक 29.07.2017 द्वारा कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,भोपाल में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ श्री अंबाराम चौहान को निम्न आरोप अधिरोपित किये गये :-

आरोप क्रमांक.01 :-

यह कि आप श्री अंबाराम चौहान कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,भोपाल में फ़ार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ है।

वर्ष 2003-2004 में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में आपके द्वारा नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेते हुये वर्ष 2006-2007 में आपने बी.फार्मा की डिग्री प्राप्त करते हुये इसी अवधि में आपके द्वारा शासकीय सेवक के रूप में उक्त अवधि का वेतन प्राप्त किये जाने संबंधी शिकायती पत्र सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल को प्राप्त होने पर उनके द्वारा प्रकरण की जांच डॉ.ए.के.द्विवेदी, मेड़िकल विशेषज्ञ, कार्यालय जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल से पूर्ण कराते हुये जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किया जिसमें आपके विरूद्ध उक्त शिकायत जांच उपरान्त सही पाई गई।

जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि केन्द्रीय जेल अधीक्षक, भोपाल ने उनके पत्र क्रमांक.5182/दिनांक 13.10.2016 के माध्यम से उन्हें यह अवगत करवाया है कि आप वर्ष 1999 से अप्रैल 2007 तक केन्द्रीय जेल, भोपाल में डेपुटेशन पर कार्यरत थे तथा अन्य चिकित्सकीय कर्मचारियों की भांति आपका कर्त्तव्य तत्समय कभी दिन ड्यूटी में कभी रात्रि ड्यूटी में नियत रहा है।

यह कि बी.फार्मा की कक्षाओं में आप नियमित छात्र के रूप में उपस्थित होकर उक्त डिग्री आपके द्वारा प्राप्त की जाने के परिणामस्वरूप आपने उक्त अवधि में अपने शासकीय कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया क्योंकि बी.फार्मा की कक्षा में एवं केन्द्रीय जेल में शासकीय कर्त्तव्य पर एक साथ उपस्थित रहना आपका संभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार उक्त अवधि में आपके द्वारा बिना कर्त्तव्य संपादित किये वेतन प्राप्त किया गया। आपका उक्त कृत्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों/विभाग को गुमराह कर आपके पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

2. श्री चौहान को जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर उनके द्वारा दिनांक 09.08.2017 के माध्यम से प्रस्तुत करते हुये यह लेख किया है कि उन्होंने बी.फार्मा की डिग्री विभागीय अनुमति उपरान्त प्राप्त की तथा कॉलेज में कक्षायें दिन में लगती थी जबकि मेरी जेल डिस्पेंसरी में आकस्मिक सेवायें होने के कारण ड्यूटी बदलती रहती थी कभी ड्यूटी दिन में तथा कभी रात में रहती थी तथा मेरे द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन किया गया तथा मेरे द्वारा कभी अपने अधिकारियों-सहयोगियों को गुमराह नहीं किया और न ही कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई जिसका प्रमाण श्री अंबाराम चौहान द्वारा उनको केन्द्रीय जेल भोपाल से प्राप्त प्रशंसा पत्रों की छायाप्रति प्रतिवाद उत्तर के साथ संलग्न प्रस्तुत करते हुये श्री चौहान द्वारा समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहा गया।

3. श्री चौहान को जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण किये जाने के पश्चात् उन्हें समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिनांक 06.09.2017 के माध्यम से देते हुये उन्हें उक्त दिनांक को समक्ष में सुना गया तत्पश्चात् विषयान्तर्गत प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व श्री चौहान द्वारा बी.फार्मा के अध्ययन अवधि के दौरान शासकीय कार्य में कोई व्यवधान हुआ अथवा नहीं तथा उक्त अवधि में श्री चौहान द्वारा लिये गये अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त की गई जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला भोपाल ने उनके पत्र दिनांक 06.11.2017 के माध्यम से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति प्राप्त हुई जिसके अनुसार श्री अंबाराम चौहान फार्मासिस्ट कार्यालय,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,भोपाल के सेवापुस्तिका का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्री चौहान वर्ष 2003 -2004 से वर्ष 2006-07 में किसी प्रकार का अध्ययन अवकाश एवं अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश का लाभ नही लिया गया तथा वर्ष 2007 में दिनांक 01.11.2007 से दिनांक 30.11.2007 तक कुल 30 दिवस का अर्जित अवकाश का लाभ लिया जाना पाया गया।

निरन्तर.....2

...strative Officer, ...alth Services

(2)

4. श्री चौहान को जारी आरोप पत्र के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण एवं समक्ष में उन्हें सुनने के पश्चात् यह पाया गया कि उनके द्वारा बी.फार्मा अध्ययन हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त की गई। अध्ययन अवधि के दौरान शासकीय कार्य में कोई व्यवधान होना नहीं पाया गया। अपितु प्रश्नकालीन अवधि में श्री चौहान को प्रशंसा पत्र प्राप्त हुये है। इस प्रकार श्री चौहान के विरूद्ध प्रश्नकालीन अवधि में कार्य नहीं करने का कोई प्रमाण नहीं है। अतः संचालनालय के पत्र कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल/2017/1211/दिनांक 29.07.2017 द्वारा श्री अंबाराम चौहान,फार्मासिस्ट कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,भोपाल को जारी आरोप पत्रादि **एतद् आदेश द्वारा** निरस्त करते हुये उक्त प्रकरण नस्तिबद्ध किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 7/11/17

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल/2017/1773

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल, मध्य प्रदेश।
02. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
03. कलेक्टर,जिला भोपाल ,मध्यप्रदेश ।
04. अपर संचालक,प्रशासन अविज्ञप्त शाखा ,स्थानीय कार्यालय ।
06. संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रश्न कमांक.1609 दिनांक 25.07.2016 से उद्भूत आश्वासन कमांक.1333 **एवं प्रश्न कमांक.3191** दिनांक 01.03.2017 से उद्भूत आश्वासन कमांक.457 के संदर्भ में प्रेषित।
07. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल मध्यप्रदेश की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित।
09. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित।
10. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल,मध्यप्रदेश।
12. श्री अंबाराम चौहान, फार्मासिस्ट कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,भोपाल मध्य प्रदेश **द्वारा** :–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल,मध्यप्रदेश।
13. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
14. आदेश नस्ति ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Administrative Officer
Directorate Health Services
Madhya Pradesh